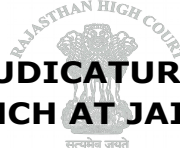




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15675/2025

Prem Prakash Saini S/o Shri Kajodram Saini, Aged About 48 Years, R/o Shyolalpura, Road No. 2, Plot No. 2, Police Station Kotwali, District Alwar (Raj.) (Presently Confined In District Jail Alwar)

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pawan Kumar Verma, Adv. Mr. Lokesh Gopaliya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

10/12/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी एन एस एस के अन्तर्गत पुलिस थाना **आबकारी निरोधक दल, अलवर पश्चिम, जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-26/2025-26 अपराध अन्तर्गत धारा **19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से इस प्रकरण में आलिप्त किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है प्रार्थी/अभियुक्त से अब कोई अनुसंधान व बरामदगी शेष नहीं है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.11.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।



दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकोर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में 96 अवैध देशी शराब के पक्के बरामद होना बताया गया है। प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रेमप्रकाश सैनी पुत्र कजोडराम सैनी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास—पचास हजार** रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J